न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़
पीठासीन अधिकारीः— चन्द्रशेखर भण्डारी, RAS

प्रकरण सं0 147/2019 प्रार्थना पत्र

लखमीचंद पिता सुखदेव जी जाति सुथार आयु 70 वर्ष निवासी उंखलियां त0 निम्बाहेड़ा ।

— प्रार्थीगण

//बनाम//

राज्य सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेड़ा ।

— विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा0ले0रे0 एक्ट

प्रार्थीगण की और सेः— अधिवक्ता इन्द्ररमल भांभी उपस्थित

आदेश

दिनांकः— 31-5-22

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा0 ले0रे0एक्ट का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की खातेदारी की आराजीयात वाके मौजा भुज्याखेडी पटवार हल्का अरनिया जोशी की खाता संख्या 131 आराजी नं. 27 रकबा 0.76 हे0 हैं । उक्त आराजी का पुराने आ0न0 479/22 हैं । प्रार्थीगण की उक्त आराजी वर्तमान नक्शे की आराजी स0 33 के पास मौजूद हैं । आराजी संख्या 34 के लगती हुई पश्चिम दिशा मं मुझ प्रार्थी की आराजी वर्तमान में स्थित हैं और उसी स्थान पर आराजी पर मैं प्रार्थी काबिज काश्त होकर बिना किसी बाधा के उपयोग उपभोग करता चला आ रहा हूँ । उक्त आराजी राजस्व कर्मचारी ने सेंटलमेंट में मुझ प्रार्थी की उक्त आराजी का नक्शा आयताकार था और अब बदलकर त्रिभुज के आकार का कर दिया हैं जिसे दुरस्त किया जाना आवश्यक हैं ।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रार्थी के मौजा उंखलिया की हाल आराजी नम्बर 34 के पश्चिम में आ0न0 33 के पूर्वी भाग पर कब्जा अनुसार काबिज होकर काश्त कर रहे हैं । वक्त सेटेलमेट नक्शे में कब्जे व गत नक्शा से भिन्न काफी दूरी पर जहां मौके पर एनीकट बना हुआ हैं वहा नवीन नक्शें में दर्शाया गया हैं जो गलत व दुरस्तीकरण योग्य हैं ।

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़)

तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं जो दस्तावेजो में प्रमाणित नही होते हैं ।

प्रार्थी के खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी का उक्त नवीन नक्शा ट्रेस में तरमीम प्रार्थी के मोके पर काबिज अनुसार अंकन कर कब्जे अनुसार नवीन नक्शा ट्रेस व राजस्व अभिलेख में इन्द्राज दुरस्त कर तरमीम किया जाना प्रस्तावित हैं ।

हमने बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया। प्रार्थी ने सभी प्रभावित खातेदारों को प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया है जो त्रूटीपूर्ण है। बिना सभी प्रभावित पक्षों को सुने निर्णय दिया जाना प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तो के विपरित होगा । प्रार्थीगण अपने पक्ष को साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने में असफल रहे हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र साबित नहीं होने से खारीज किया जाता है। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 31 .05.2022 को सरे इजलास सुनाया जाकर कम्प्युटराईज कराया गया।

(चन्द्रशेखर भण्डारी)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा